प्रार्थी ही करता है जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि प्रार्थी के उपयोग व उपभोग में है। अतः खसरा नम्बर 225/39 रकबा 0.1618 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम की भूमि के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित होना साबित होता है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. ***सुविधा का संतुलन*** :- पूर्व विवेचित बिन्दू संख्या 1 के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित है तथा साथ ही प्रार्थी खसरा संख्या 225/39 रकबा 0.1618 हैक्टेयर की आराजी का अभिलिखित खातेदार है। इससे स्पष्ट है कि उक्त आराजी के संबंध में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में निहित है। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. *अपूर्णनीय क्षति* :- चूंकि प्रार्थी खसरा संख्या 225/39 रकबा 0.1618 हैक्टेयर का अभिलिखित खातेदार है साथ ही सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ है अतः यदि प्रार्थी के पक्ष में वाद निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी खातेदार होने के कारण प्रार्थी को ही होना संभावित है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। इसलिए उक्त बिन्दु को भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर अंततः हमारा यह स्पष्ट एवं विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है, अतः हम हस्तगत वादपत्र के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के प्रार्थी खातेदार द्वारा वादग्रस्त आराजी पर काश्त करने व काश्त से सम्बन्धित अन्य कार्य करने से जिसमें खेत की व्यूबवैल से पानी निकालकर सिंचाई का काम करें तो उसमे किसी प्रकार की दखनलदांजी करने व बाधा उत्पन्न करनें से अप्रार्थीगण तथा उनके परिवार के समस्त सदस्यों परिवार नौकर चाकर आली एजेन्ट मजदुर आदि को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना विधि संगत एवं उचित समझते है।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद सरहद मौजा- खिनावड़ी, पटवार हल्का फुलमाल तहसील जैतारण स्थित खसरा संख्या 225/39 रकबा 0.1618 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल जो प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि है, उसमें प्रार्थी खातेदार द्वारा वादग्रस्त आराजी पर काश्त करने व काश्त से सम्बन्धित अन्य कार्य यथा

(रविप्रकाश RAS)
...ण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

सिंचाई, तारबंदी इत्यादि करें पर तो उसमें अप्रार्थीगण न तो स्वयं किसी प्रकार की कोई दखलांदाजी एवं बाधा उत्पन्न करें तथा न ही अपने उनके परिवार के सदस्यों, परिवार नौकर चाकर, आली एजेन्ट मजदुर आदि के माध्यम से करवावें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(रविप्रकाश RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 22/01/2025 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

(रविप्रकाश RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)